न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 80/2013

प्रवेश दिनांक – 02.05.2013

निर्णय दिनांक – 16-3-21

उनवान

1. लिछमन पुत्र झूंथाराम जाति गुर्जर निवासी केहरपुरा तन बुटेरी तहसील बानसूर –
2. मूलाराम पुत्र झूंथाराम जाति गुर्जर निवासी केहरपुरा तन बुटेरी तहसील बानसूर – प्रार्थीगण

बनाम

1. सुनेरी देवी पत्नी हरिश जाति गुर्जर निवासी केहरपुरा तन बुटेरी तहसील बानसूर – अप्रार्थीया

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अनिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251(क) की उप धारा 1</u>

–: निर्णय :–

आज यह प्रार्थना पत्र वास्ते आदेश मेरे समक्ष पेश हुआ। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र 251(क) पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी खसरा नं. 159 रकबा 0.23 है. वाके मौजा केहरपुरा त0 बानसूर की खातेदारी की भूमि है। जिसके पूर्वी डोल की तरफ उत्तर से दक्षिण को आज दिन पगडण्डी रास्ता अप्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 155 रकबा 0.25 है. वाके मौजा केहरपुरा में स्थित है। मौजुदा पगडण्डी रास्ते को चौडा कर उसे 12 फुट चौडा नया मार्ग खोला जावें। तथा यदि विकल्प में अदालत श्रीमान को कोई नजदीकी कोई दुसरा रास्ता आवेदक की आराजी तक जाने के लिए बनता है तो उसकी घोषणा की जाकर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

प्रकरण दर्ज पंजिका किया जाकर अप्रार्थीया को तलब किया गया। अप्रार्थीया ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी लिछमन व मूलाराम पिता झूंथाराम जाति गुर्जर निवासी केहरपुरा तहसील बानसूर हाल आराजी खसरा नम्बर 158 रकबा 0.02 व 159 रकबा 0.23 है. वाके मौजा केहरपुरा के 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार है तथा शेष 1/2 भाग के [illegible] खातेदार काश्तकार जगदीश, गैन्दा लाल, बिरजू पिसरान छोटुराम है जो उपरोक्त [illegible] काश्त खातेदारी की आराजी है जिन खसरा न0 158, 159 के [illegible] जगदीश, गैन्दा लाल, [illegible] को इस प्रार्थना पत्र में ना तो अप्रार्थी बनाया है ना ही उन्हे प्रार्थी बन[illegible] गया है। प्रार्थी द्वारा [illegible]ष्ट नही

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:47:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

किया गया है कि खसरा नम्बर 158, 159 में उसका 1/2 भाग किस तरफ का है। जो सहखातेदार इस प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार है जिनके बिना यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है।

अप्रार्थी सुन्देरी देवी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा न0 155 रकबा 0.25 है. की भूमि में से पूर्वी डोल की भूमि के सहारे से तरफ उत्तर से दक्षिण लम्बा एक 12 फुट फुट चौडा रास्ता चाहा गया है। जो गलत है। मौके पर आज दिन प्रार्थीगण खसरा न0 155 के पूर्वी डोंल के सहारे की भूमि से 12 फुट चौडा रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नही है। क्योंकि खसरा न0 155 व 154 मिन अप्रार्थी व मेरे ही परिवार के सदस्यों की कब्जेकाश्त खातेदारी की भूमि हैं जिस भूमि के बतरफ पूर्वी डोल के सहारे करीब 1 से 1.5 फुट भूमि छोड कर पुख्ता चार दिवारी खसरा न0 154 के उत्तरी छोर से खसरा न0 155 के दक्षिण छोर तक पुख्ता चारदिवारी लगाई हुई है। तथा इसी कदर हमारी इस भूमि खसरा न0 154 व 155 के बतरफ पूर्व को स्थित खसरा न0 160 के खातेदार नाथा वगैरहा ने डोल के सहारे 1 से 1.5 फुट चौडी भूमि छोडते हूए अपने पुख्ता मकान तामीर कर रखे है। और हमारे पुख्ता डण्डे व खसरा न0 160 में बने नाथा के रिहायशी मकानों के बीच में मात्र एक गली 3 फुट चौडी हमारे द्वारा आने–जाने व वर्षाती पानी के लिए छोडी हुई है। तथा खसरा न0 154 के बतरफ उत्तरी पूर्वी होने पर एक पुख्ता रिहायशी मकान भी हमारा बना हुआ है। ऐसी सुरत में जिस भूमि मे से प्रार्थीगण ने जो 12 फुट चौडा रास्ता चाहा है जिसे मौके पर दिया जाना व निकाला जाना असंभव है। क्योंकि इस पगडण्डी के दोनो ओर हमारी भूमि खसरा न0 155 व 154 व खसरा न0 160 में बने रिहायशी मकानो के पुख्ता डण्डे लगें हुयें है जिनको आज दिन हटाया जाना असंभव है यदि उनको मिसमार कर 12 फुट चौडा रास्ता चाहे गये स्थान से निकाला जाता है। तो मकानों को तोडना पडेगा जिससे हमें लाखों की क्षति होगी। प्रार्थीगण द्वारा मौके की वस्तुस्थिति को छुपाते हुये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कही भी यह स्पष्ट नही किया गया है। कि अब तक वे किस रास्ते से अपनी भूमि पर गाडी लाते– ले जाते रहे है उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा ना तो आराजी खसरा न0 154 के खातेदारों से ना ही खसरा न0 160 के खातेदारों पक्षकार बनाया गया है। जबकी इस प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार थे। प्रार्थीगण द्वारा कतई गलत व मनमाना व खिलाफ मौका कें प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा से स्पष्ट है कि मौके पर हम प्रार्थीगण के तथा खसरा न0 160 के खातेदारान के रिहायशी पुख्ता मकान बने हुये है ऐसी स्थिति में जिन मकानों को तोडकर 12 फुट फुट चौडा रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाना गैरकानूनी है। प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

भू0 अ0 नि0 बुटेरी से धारा 251(क) के प्रावधानों के अनुसार मौके की रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक मौका रिपोर्ट भू0अ0नि0/पटवारी हल्का बुटेरी दि[illegible]2016 व 30.5.2017 के अनुसार प्रार्थीगण अपने आवासीय मकान जो कि आराजी खसरा न0 159 [illegible] 0.23 में स्थित है के आने जाने हेतु आराजी खसरा न0 155 रकबा 0.25 की पूर्वी डोल पर बनी पगडण्डी को 12 फुट चौडा रास्ता कराना चाहते है आराजी खसरा न0 155 रकबा 0.25 की पूर्वी डोल पर कही 3 तो कही 4 फुट व कहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:47:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

5 फुट का रास्ता बना हुआ है। खसरा न0 155 की तरफ पूर्व के पक्की दिवार व खसरा न0 160 में पक्का मकान बना हुआ है। पगडण्डी के दोनों ओर पक्की तामीर है उक्त मौका रिपोर्ट पर एतराज प्राप्त होने पर पुन: भू0अ0नि0 बुटेरी से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

भू0अ0नि0 बुटेरी की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.3.2019 के अनुसार वर्तमान में आबादी भूमि खसरा न0 147 से 203 रकबा 0.01 है. (रास्ता) व (चाह) खसरा न0 202 से होते हुए आराजी खसरा न0 155 की पूर्वी सीमा से 159 की ओर रास्ता स्थित है। उक्त रास्ते के दोनों तरफ दीवार व मकानात है। दीवार (डण्डा) खसरा न0 155 के खातेदार द्वारा तथा मकानात खसरा न0 438/160 के खातेदार फूला पुत्र नाथा बनाये हुए है। मकान या डण्डा व कुये को हटाने पर ही रास्ता दिया जा सकता है उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के कही जा रहा है नक्शे में दर्ज खसरा न0 147, 154, 156, 159 के तरफ पश्चिम में डोट–डोट से रास्ता दिखाया गया है। जो वर्तमान में बंद है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते से ही आवाजाही कर रहा है जो चार पहिया वाहन सुविधा के लिए नही है प्रार्थी उक्त रास्ते को चौडा करवाना चाहता है जो कुये व खसरा न0 155 की मेड पर लगी दिवार या उसके सामने बने मकान को हटाकर व रास्ते में खडे दो पेडो को हटाने पर चौडा किया जा सकता है।

विद्ववान अधिवक्ता की बहस सूनी गई। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टात पेश किये–

1 - RRT 2014 (1) पार्ट–1 पेज नं0 40 उनवान उमाराम बनाम बृजलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी व धारा 251(क) RT Act में पारित निर्णय दिनांक 18/जून/2013 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया। प्रस्तुत न्यायीक दृष्टात का ससम्मान अवलोकन किया।

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अपनी खातेदारी भूमि 159 में बने आवासीय मकानात व आराजी तक पहुचने वाले मार्ग(रास्ता) जो कि आराजी खसरा नं0 147 से चाह के खसरा नं0 202 से होते हुये अप्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नं0 155 की पूर्वी मोड से हेते हुये प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक जा रहा है को चौडा करवाने हेतु पेश किया है ना कि नया रास्ता कायम करवाने हेतु।

251 'क' के प्रावधानुसार जब वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध न हो–आवश्यकता अत्यन्तिक हो और केवल सूविधा आवश्यक नही हो तो ही नये मार्ग को खोलने/कायम करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का [illegible] बुटेरी से प्राप्त मौका रिपोर्ट से सिद्व होता है कि मौके पर रास्ता उपलब्ध है तथा प्रार्थी [illegible] को चौडा करवाना चाहता है जो कि सुविधाजनक स्थिति के लिए प्रतीत होता है। धारा 251 'क' के तहत रास्ते हेतु शर्तो की पूर्ति नही करता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] प्रतीत नही होता है।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:47:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आदेश

अतः पार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अनिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251(क) की उप धारा– 1 अस्वीकार कर खारीज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

आज दिनांक 16/7/21 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर(अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:47:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner